फोन/फैक्स नं0– 0135–2781201
ईमेलआईडी–info@ukmc.in

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

पत्रांक ...570..../उअसंआ/जन–सुन.बैठक पत्रा./2026–27 दिनांक ...16... नवम्बर, 2026

सेवा में,

1. **श्रीमती फरज़ाना बेगम,**
   मा0 उपाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
2. **श्री नफीस अहमद,**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
3. **श्री जगजीत सिंह जग्गा,**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
4. **श्री गगनदीप सिंह बेदी,**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
5. **श्री येशी थुप्तेन,**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
6. **श्री शकील अहमद**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
7. **श्री शारिक मलिक,**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
8. **श्रीमती फ़रहा,**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
9. **श्री मेहबूब अली,**
   मा0 सदस्य,
   उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।
10. **श्री आसिफ खान,**
    मा0 सदस्य,
    उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग।

विषयः– **दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 दिन मंगलवार को जन–सुनवाई अदालत/बैठक के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि श्री बलजीत सोनी, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ***दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 दिन मंगलवार को प्रातः11:00 बजे*** सभागार, अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, अधोईवाला, देहरादून में मा0 आयोग को प्राप्त शिकायती प्रकरणों की जनसुनवाई अदालत बैठक आयोजित की गयी है। जिसमें मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा आप सभी को अनिवार्य रूप से प्रतिभाग/उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है।

अतः कृपया उक्तानुसार मा0 आयोग की प्रस्तावित जन–सुनवाई अदालत बैठक में ससमय उपस्थित होने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बरकत अली)
सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।

पृष्ठाकंन संख्या...570... एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार जन–सुनवाई अदालत बैठक की उपरोक्त तिथि हेतु सभागार आरक्षित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जन–सुनवाई अदालत/बैठक के सफल संचालन हेतु थाना–रायपुर से आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था कराये जाने हेतु संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जन–सुनवाई अदालत बैठक की सूचना को सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुए उपरोक्तानुसार मीडिया बन्धुओं को प्रेस वार्ता में आने हेतु अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।

सचिव,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,
देहरादून।